



## सप्तदश बिहार विधान सभा

### अष्टम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.04.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री संजय सरावगी,  
स०वि०स०  
श्री सुरेन्द्र मेहता,  
स०वि०स०  
श्री कुमार शैलेन्द्र,  
स०वि०स०  
श्रीमती कविता देवी,  
स०वि०स०  
श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल',  
स०वि०स०  
श्री मोती लाल प्रसाद,  
स०वि०स०  
श्रीमती निशा सिंह,  
स०वि०स०

"प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 5.55 करोड़ लाभुकों में से अभीतक 76.85 लाख लाभुकों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है जो मात्र 13 प्रतिशत है। दरभंगा जिला में 27,89,706 के विरुद्ध 2,81,387, मधुबनी में 23,70,685 के विरुद्ध 2,63,731 एवं मुजफ्फरपुर में 24,91,879 के विरुद्ध 3,47,677 ही कार्ड बन पाया है। जो कार्डधारी निजी अस्पताल / सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, उक्त अस्पताल इलाज करने से कठराते हैं और भुगतान नहीं / विलम्ब से होने का रोना रोते हैं। एक वर्ष पूर्व बिहार सरकार ने जिन राशन कार्डधारियों के नाम आयुष्मान भारत में नहीं है उनकी भी आयुष्मान भारत जैसी सुविधा राज्य योजना से करने का निर्णय लिया था, लेकिन वह योजना भी प्रारंभ नहीं हुआ।

अतः सभी लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाने, अस्पताल को संसमय भुगतान करने एवं राज्य योजना से बचे हुए राशन कार्डधारियों को आयुष्मान भारत जैसी सुविधा देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

स्वास्थ्य

२. श्री महबूब आलम,  
संविंशति  
श्री अजीत शर्मा,  
संविंशति

“आज महाराष्ट्र आसमान हूँ रही है। मुद्रास्फीति समाज कल्याण के कारण रूपये का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति डालर 84 रूपये हो गए हैं। ऐसी भयावह आर्थिक हालत में गरीबों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मात्र 400 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब श्रमिकों के शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहती है। विधवाओं के पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। दिव्यांगों का जीवन अभिशप्त है।

अतएव विधवाओं, दिव्यांगों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध एवं वृद्धाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) पेंशन दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

पवन कुमार पाण्डेय  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१८/२०२३- ७९९ / विंशति, पटना, दिनांक- ३। मार्च, २०२३ ई०।  
प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१८/२०२३- ७९९ / विंशति, पटना, दिनांक- ३। मार्च, २०२३ ई०।  
प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१८/२०२३- ७९९ / विंशति, पटना, दिनांक- ३। मार्च, २०२३ ई०।  
प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१८/२०२३- ७९९ / विंशति, पटना, दिनांक- ३। मार्च, २०२३ ई०।  
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।